

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री वृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.  
तारीख रजू

तारीख निर्णय

12-2-2026

मुकदमा नम्बर

103/2025

19.08.2025

दिनेश चंद पुत्र रामनारायण, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी  
—वादी

बनाम

1. रमेश चंद पुत्र रामनारायण, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
उपरिस्थित :- श्री तरुण शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 784 रकबा 0.04 है0, ख0न0 785 रकबा 0.03 है0, ख0न0 786 रकबा 0.48 है0, ख0न0 787 रकबा 0.03 है0, ख0न0 788 रकबा 0.35 है0, ख0न0 913 रकबा 0.96 है0 ग्राम जाट बडौदा की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त रूप से चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर अपने हिस्से से लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी ने भूमि का मौके पर बाहमी रूप से बंटवारा किया हुआ है। वादी ने कई बार प्रतिवादी को भूमि विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने तहसील में चलकर भूमि विभाजन करवाने से मना कर दिया तथा बिना विभाजन के भूमि पर अवैध निर्माण करने पर आमादा है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 784 रकबा 0.04 है0, ख0न0 785 रकबा 0.03 है0, ख0न0 786 रकबा 0.48 है0, ख0न0 787 रकबा 0.03 है0, ख0न0 788 रकबा 0.35 है0, ख0न0 913 रकबा 0.96 है0 ग्राम जाट बडौदा का मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर प्रत्येक वादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खाते पृथक पृथक कायम किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह बिना विभाजन भूमि को रहन वय नही करे तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।  
प्रतिवादीगण बावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है इसलिए  
प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।  
वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2074-2074  
खाता संख्या 175 ग्राम जाट बडौदा प्रस्तुत की है।



उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

( 2 )

प्रकरण मे वकील वादी की बहस सुनी जाकर 05.12.2025 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/26/129 दिनांक 14.01.2026 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. दिनेश चंद पुत्र रामनारायण हि० 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 913/1 रकबा 0.48 है० कुल रकबा 0.48 है० ग्राम जाट बडौदा तह० गंगापुर सिटी रहेगी।
2. रमेश चंद पुत्र रामनारायण हि० 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 913/2 रकबा 0.48 है०, ग्राम सालोदा तह० गंगापुर सिटी रहेगी।
3. दिनेश चंद पुत्र रामनारायण हि० 1/2 जाति माली, रमेश चंद पुत्र रामनारायण हि० 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 784 रकबा 0.04 है०, ख०न० 785 रकबा 0.03 है०, ख०न० 786 रकबा 0.48 है०, ख०न० 787 रकबा 0.03 है०, ख०न० 788 रकबा 0.35 है० कुल रकबा 0.93 है० ग्राम जाट बडौदा तह० गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( बृजेन्द्र मीना )  
उप जिला कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)  
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil  
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी  
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0  
उनवान

दिनेश चंद पुत्र रामनारायण, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी  
—वादी  
बनाम

1. रमेश चंद पुत्र रामनारायण, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
  2. उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
  3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण
- दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —103/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरुण कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुददई — मुददायलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. दिनेश चंद पुत्र रामनारायण हि0 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 913/1 रकबा 0.48 है0 कुल रकबा 0.48 है0 ग्राम जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
2. रमेश चंद पुत्र रामनारायण हि0 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 913/2 रकबा 0.48 है0, ग्राम सालोदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।
3. दिनेश चंद पुत्र रामनारायण हि0 1/2 जाति माली, रमेश चंद पुत्र रामनारायण हि0 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 784 रकबा 0.04 है0, ख0न0 785 रकबा 0.03 है0, ख0न0 786 रकबा 0.48 है0, ख0न0 787 रकबा 0.03 है0, ख0न0 788 रकबा 0.35 है0 कुल रकबा 0.93 है0 ग्राम जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक


उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)



( 2 )

रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।


पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/26 को जारी किया गया।

  
( बृजेन्द्र मीना )

उप जिला कलक्टर  
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



  
( बृजेन्द्र मीना )

उप जिला कलक्टर  
उपखण्ड असिस्टेन्ट कलक्टर  
गंगापुर सिटी (राज०)